

बिहार



सरकार

परिवहन विभाग,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्

विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

दूरभाष संख्या-0612-2547448

संचिका संख्या-स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)-05-23/2018 (भाग-2).100.....दिनांक-09.02.24

नियोजन हेतु विज्ञापन संख्या-02/2024

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित "लीड एजेन्सी" के लिए Accounts Officer के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	पदों की संख्या	प्रतिमाह कुल वेतन	अधिकतम उम्र सीमा (01.02.2024 को)	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
1	2	3	4	5
Accounts Officer	1 (अनारक्षित)	रु0 65,000/- (नियत) (पैसठ हजार)	उम्र-45 वर्ष	Candidates must possess Chartered Accountant Degree/ICWA. Should have minimum Five (5) Years of Post CA/ICWA Experience in the field of Accounts/Treasury/Finance.

शर्तें-

- विज्ञापित पद का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के विवरण तथा नियोजन के शर्तों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/transport> पर उपलब्ध है।
- उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- कार्य अनुभव एवं उम्र की गणना दिनांक-01.02.2024 के आधार पर की जायेगी।
- आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि 27.02.2024 को अपराह्न 06.00 बजे तक है। आवेदन पत्र स्वयं जमा करायें या रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट से भेजें। अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,  
लीड एजेन्सी,  
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

बिहार



सरकार

परिवहन विभाग,  
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद  
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।  
दूरभाष संख्या-0612-2547448

विज्ञापन संख्या-02/2024

आवेदित पद का नाम :-.....

1. आवेदक का नाम:-.....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम:-.....
3. स्थायी पता:-.....  
.....
4. पत्राचार का पता:-.....  
.....
5. मोबाईल नं0:-..... ई-मेल आई.डी.....
6. जन्म तिथि:-..... दिनांक 01.02.2024 को उम्र:-.....
7. आरक्षण कोटि:-.....
8. शैक्षणिक योग्यता:-.....
9. तकनीकी योग्यता:-.....
10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं):-.....
11. पूर्व अनुभव (अवधि सहित):-.....
12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो तो):-.....
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरण:-.....  
.....
14. लंबित विभागीय कार्यवाही:-.....
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो, तो उसका विवरण:-.....  
.....
16. कार्य अनुभव का ब्यौरा (अवधि का स्पष्ट उल्लेख तिथि सहित):-.....  
.....

Photo

(नोट:-सभी प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक एवं अनुभव) की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

घोषणा

मैं.....यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इनके गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

## नियोजन हेतु सामान्य शर्तें:-

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाएगा। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक-एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामले में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
2. सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. वैसे आवेदक, जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई अलग आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग-सह-सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा निर्गत किया जायगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायगा।



राज्य परिवहन आयुक्त-सह-प्रभारी पदाधिकारी,  
लीड एजेंसी,

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।